न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 162/19 निर्णय दिनांक :–06–02–2020
(आरसीएसमएस संख्या 2019/00235)

1. भंवरसिह पुत्र बद्रीसिह जाति राजपूत निवासी चक 24 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 12–07–2019
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 12–07–2019 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र रिमाण्ड आदेशों के विपरीत खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में चक 5 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 48/63 की 9 बीधा भूमि आवंटन कराने के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्व में भूमि अन्य को आवंटन बताकर दिनांक 31–8–1996 को खारिज कर दिया गया थ। उक्त आदेश के विरुद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त

अपील दिनांक 18–04–98 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि भूमि आवंटन की जांच कर व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में तहसीलदार से रिपोर्ट ली जिसके अनुसार आवेदित रकबा आराजीराज बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बाद अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पात्र धोषित करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का आदेश दिया व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट के प्रार्थना पत्र को एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। उक्त आदेश की अपीलांट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14–03–2017 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए आदेशित किया गया कि वे अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटन नही की गई हो तो नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें उक्त भूमि को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड बताया गया व अन्य किसी को आवंटित नहीं होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को वादग्रस्त भूमि के मोहरबन्द आवंटन हेतु अन्य व्यक्ति खलील खॉ पुत्र हाजी मुराद का आवेदन जैरकार होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र वर्ष 1995 से जैरकार चल रहा है व न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड आदेशों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटन नहीं की गई हो तो नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को उक्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए अन्य के आवेदन को आधार बनाकर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश जारी किये जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है इसलिए ऐसे आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु मियांद कण्डोन के लिए कोई संतोषप्रद कारण अंकित नही किये हे। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के अतिरिक्त अन्य आवदकों के आवेदन होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–07–2019 के विरुद्व अपील दिनांक 04–10–2019 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।जिसके खण्डन में काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन में चक 5 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 48/63 की 9 बीधा भूमि आवंटन कराने आवंटन अधिकारी के समक्ष दिनांक 30–12–1995 को प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटन बताकर दिनांक 31–8–1996 को खारिज किये जाने पर अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश के विरुद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जोकि दिनांक 18–04–98 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि भूमि आवंटन की जांच कर व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में तहसीलदार से रिपोर्ट ली जिसके अनुसार आवेदित रकबा आराजीराज बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बाद अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पात्र धोषित करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट के प्रार्थना पत्र को एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसलिए अपीलांट द्वारा पुनः उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 14–03–2017 को स्वीकार करते हुए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला को आदेशित किया गया

कि वे अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटन नही की गई हो तो नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादग्रस्त भूमि के अन्य व्यक्ति को आवंटन की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने की स्थिति में आराजी जैर अपीलांट को आवंटित करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। इसके विपरीत अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को जैरकार बताते हुए अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में अपीलांट वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 1995 से आज दिनांक तक अर्थात विगत् 25 वर्षो से प्रयासरत रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र अन्य के आवेदन को आधार मानकर अपीलांट की पात्रता समाप्त नहीं की जा सकती। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि उक्त अन्य प्रार्थना पत्र किस दिनांक को प्राप्त हुआ व कब से उक्त प्रार्थना पत्र जैरकार है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही अपीलांट को वादग्रस्त भूमि आवंटन नहीं किये जाने के उद्देश्य मात्र से किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी कानूनी अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उसकी पात्रता को मात्र फौरी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 12–07–2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: